

भारतीय मानक ब्यूरो

(प्रशासन विभाग)

परिपत्र

विषय: एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं का तत्काल उन्मूलन

यह उपरोक्त विषय पर हमारे पूर्व परिपत्रों, सन्दर्भ संख्या बीआईएस/मुख्या/प्रशा/परिपत्र/16/(2019 दिनांक 17 जून 2019 एवं बीआईएस/मुख्या/प्रशा/परिपत्र/23/(2019 दिनांक 05 सितंबर 2019 के संदर्भ में है।

2. इस सम्बन्ध में, सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं/एनआईटीएस/ मुख्यालय में स्थित सभी बीआईएस कार्यालयों में तुरंत प्रभाव से एकल प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग, 15 सितंबर 2019 तक बंद कर दिया जाना चाहिए।

3. मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों / प्रयोगशालाओं / एनआईटीएस में सभी विभागों के प्रमुखों से अनुरोध किया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए एवं 16 सितंबर 2019 तक मुख्यालय के प्रशासन विभाग में एक अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाए।

रविशंकर

(एन. रवि शंकर)

निदेशक (प्रशासन)

हमारा सन्दर्भ: प्रशा/09/04/2014

परिचालित: इंटरनेट के माध्यम से बीआईएस मुख्यालय के सभी विभागों के प्रमुखों,
क्षे.का./शा.का./ प्रयोगशालाएँ एवं एनआईटीएस

BIS/HQ/ADMN/Circular(24)/2019

Date: 12 September 2019

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Administration Department)

CIRCULAR

Subject: Immediate elimination of Single Use Plastic Items

This has further reference to our earlier Circulars under Ref. No. BIS/HQ/ADMN/Circular (16)/2019 dated 17 June 2019 & BIS/HQ/ADMN/Circular (23)/2019 dated 05 September 2019 on the above subject.

2. In this regard, Competent Authority has directed that the usage of Single Use Plastic items should be immediately stopped in all the BIS Offices located at ROs/BOs/Labs/NITS/HQs w.e.f. 15 September 2019.
3. Heads of all departments at HQs/ROs/BOs/Labs/NITS are requested to kindly ensure that the above directions must be strictly adhered to and a compliance report may be submitted to the Administration Department at HQs latest by 16 September 2019.



(N. Ravi Shankar)
Director (Administration)

Our Ref: ADMN/09/04/2014

Circulated to: **Heads of all departments at HQs/ROs/BOs/Labs/NITS**